कार्यालय जिला न्यायाधीश, मेरठ।

निविदा/टैण्डर सूचना

सिविल कोर्ट मेरठ को तीन नई फोटोस्टेट मशीन की आवश्यकता है, जिनका क्रय टेंडर के माध्यम से किया जाना है। केवल वे ही फर्म निविदा प्रस्तुत कर सकती है जो कि निर्माणकर्ता कम्पनी की ओर से आपूर्ति कराने हेतु अधिकृत हो। निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली फोटोस्टेट मशीन का कुल मूल्य पर जी0एस0टी0 को जोड़ने के उपरान्त कुल धनराशि का 02 प्रतिशत के बराबर धनराशि नगद रूप में कैशियर सिविल कोर्ट के पास जमा करनी होगी अथवा उतनी ही धनराशि का बैक ड्राफ्ट माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार कराकर संलग्न करना होगा। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर से प्राप्त की जा सकती है। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् मशीन क्रय करने की अनुमति हेतु पत्र माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किया जायेगा। तदोपरान्त अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् मशीन का वास्तविक क्रय किया जायेगा।

उक्त निविदा केन्द्रीय नजारत में केन्द्रीय नाजिर को सीलबंद लिफाफे में दिनांक 07-05-2018 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक प्रस्तुत करनी होगी जिससे उसी दिन सायं 04:30 बजे क्रय समिति के समक्ष खोले जायेगे। जो भी व्यक्ति/फर्म निविदा खोलने के समय उपस्थित होना चाहते तो वह हो सकते है। निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा।

उक्त सूचना एवं निविदा की शर्ते माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट www.districtcourtmeerut.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(नीरज कुमार बक्शी)
सदस्य, क्रय समिति/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0-10
मेरठ।

20/04/18
(विनय कुमार द्विवेदी)
अध्यक्ष, क्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0)
मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतू।

1- नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

2- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।

3- नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

4- नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

5- समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतू।

6- कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतू।

निविदा की शर्ते

न्यायिक प्रतिष्ठान मेरठ के लिये तीन नई फोटोस्टेट मशीन मय ट्राली प्रतिष्ठित/ब्रान्डेड कम्पनी की क्रय की जानी प्रस्तावित है। जिस हेतु अधिकृत/पंजीकृत डीलर/फर्म, निर्माता एवं विक्रेता द्वारा सीलबन्द निविदा निम्न शर्तो पर आमंत्रित की जाती है :–

1– निविदा की आपूर्ति किये जाने वाले फोटोस्टेट मशीनों की निर्माता कम्पनी का विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य है।

2– सीलबन्द निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर मय दिनांक होना आवश्यक है। सीलबन्द निविदा में किसी प्रकार की कटिंग/ओवर राईटिंग होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

3– सीलबन्द निविदा में दरो का अंकन शब्दो तथा अंको दोनो में किया जाये, साथ ही दर जी0एस0टी0 सहित सम्मिलित की जायेगी।

4– निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का वाणिज्य–कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है और निविदादाता द्वारा ट्रेड–टैक्स/जी0एस0टी0 विभाग द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाणपत्र देना भी अनिवार्य है।

5– निविदा की आपूर्ति किये जाने वाले फोटो स्टेट मशीनों (ट्राली सहित) का मूल्य मय जी0एस0टी0 एवं आपूर्ति की जाने वाली फोटो स्टेट मशीन का कुल मूल्य मय जी0एस0टी0 अंकित करना अनिवार्य है, और उक्त कुल मूल्य मय जी0एस0टी0 के 2% धनराशि का ड्राफ्ट अग्रिम धनराशि के रूप में माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में पृथक सीलबन्द लिफाफे में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6– निविदा की सूचना के नियमानुसार जारी होने के बाद निविदा का फार्म निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व प्रत्येक कार्यदिवस में सायं 5:00 बजे तक जनपद न्यायालय मेरठ में नजारत अनुभाग से अंकन 100 रूपये अदा करके प्राप्त किया जा सकता है।

7– सीलबन्द निविदा एवं उसके साथ संलग्न सीलबन्द अग्रिम धनराशि दिनांक 07.05.2018 को दिन 11:00 बजे तक जनपद न्यायालय मेरठ के नजारत अनुभाग में प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। दिनांक 07.05.2018 को दिन में 11:00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाये स्वीकार नहीं होगी। पंजीकृत डाक से निविदा प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निविदा मेरठ में प्राप्त हो जाये।

8– सीलबन्द उपरोक्त निविदांये दिनांक 07.05.2018 को सायं 4:30 बजे के बाद तेरह–कक्षीय न्यायालय भवन के मीटिंग कक्ष में खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

9– निविदाओं को स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

10– मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने वाली फोटो स्टेट मशीनों की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाने एवं वारण्टी के अन्दर फोटो स्टेट मशीनों की मरम्मत आदि के प्रयोजनार्थ क्रय आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रारूप मे सफल निविदादाता/फर्म द्वारा अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

11– निविदा स्वीकृत होने पर वांछित फोटो स्टेट मशीनों की क्रय धनराशि डिपोजिशन खाते से भुगतान किये जाने हेतू अनुमति की मांग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से की जायेगी और अनुमति प्राप्त होने पर क्रय आदेश जारी किया जायेगा।

12– आपूर्ति की गयी मशीनों में कोई मेन्यूफैक्चरिंग कमी पायी जाती है तो उसे आपूर्तिकर्ता द्वारा पुनः आपूर्ति करनी होगी।

13– निविदाकर्ता में से जो भी निविदाकर्ता उपरोक्त शर्तो में से किसी एक भी शर्त का पूर्ण नहीं करेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

14– निविदा में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान जैसे भाड़ा, आपूर्ति किये जाने वाली को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में देय नहीं होगा, कोई बीयर–टीयर देय नहीं होगा।

Neeraj

(नीरज कुमार बक्शी)
सदस्य, क्रय समिति/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं0–10
मेरठ।

20/04/18

(विनय कुमार द्विवेदी)
अध्यक्ष, क्रय समिति/
विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0)
मेरठ।

Approved
20.04.2018